

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

भानु प्रताप शर्मा,
प्रधान सचिव

स्वा. में,

महालेखाकार बिहार
वीर चंद पटेल मार्ग,
पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:- केन्द्रीय षष्टम् वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से नया वेतनमान के लागू होने के फलस्वरूप पेंशन की औपबधिक व्यवस्था को समाप्त किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभागीय संकल्प सह-पठित ज्ञापांक 819 एवं 820 दिनांक 23.09.2009 तथा ज्ञापांक 1265 दिनांक 18.12.2009 वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 630 दिनांक 21.01.2010

संदेह,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 630 दिनांक 21.01.2010 के द्वारा केन्द्रीय षष्टम् वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से राज्यकर्मियों को नया वेतनमान लागू हो गया है, फलस्वरूप वित्त विभागीय संकल्प सह-पठित ज्ञापांक 819 एवं 820 दिनांक 23.09.2009 तथा ज्ञापांक 1265 दिनांक 18.12.2009 द्वारा किये गये पेंशन पुनरीक्षण लाभ की औपबधिक व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाती है।

अतः अनुरोध है कि पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में अतिरिक्त पेंशन पेंसन्ट आर्डर (PPO) निर्गत करने एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान की कार्रवाई की जाए।

80/-

(भानु प्रताप शर्मा)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग

पटना, दिनांक 21.02.2010.

ज्ञापांक 119 वि.

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/निबंधक उच्च न्यायालय, पटना/सभी समाहर्ता/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी बैंक (स्थानीय जोनल कार्यालय)को वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 819 एवं 820 दिनांक 23.09.2009 तथा संकल्प ज्ञापांक 1265/वि0 दिनांक 18.12.2009 एवं संकल्प ज्ञापांक 630 दिनांक 21.01.2010 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भानु प्रताप शर्मा)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग

0/2